कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 882 / FP/UK/ROAD/16207/2015 :देहरादूनः दिनांकः 29 सितम्बर, 2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः–जनपद–अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत कटारमल सूर्य मन्दिर से बिरारा–कनौली होते हुए ज्योली रानीखेत तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.985 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–आपकी पत्र संख्या–1267 / 12–1(2) दिनांक 21.09.2021.

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी प्रस्ताव की हार्ड प्रतियों के गहन परीक्षणोपरान्त कतिपय अपूर्णताऐं दृष्टिगोचर हो रही हैं जो निम्नानुसार हैंः–

1. प्रस्ताव की हार्ड प्रतियों में विषय सूची संलग्न नहीं की गयी है। विषय सूची पृष्ठ संख्या सहित संलग्न की जाय।
2. प्रस्ताव में FRA, 2006 के प्रपत्र / अभिलेख छायाप्रतियों में, जिनमें कतिपय पृष्ठ अठनीय हैं, संलग्न किये गये हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकार नही किया जाता है। प्रस्ताव की मूल प्रति में FRA, 2006 की मूल प्रति संलग्न की जाय तथा शेष दो प्रतियों मे प्रपत्रों की पठनीय सत्यापित प्रतियाँ संलग्न की जाय।
3. प्रस्तावित मोटर मार्ग की वन्यजीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया जाय।
4. ग्राम पंचायत ढौरा तथा ग्राम पंचायत भैसोड़ा के तोक कुन्यूड़ा के ग्राम सभा की अनापत्ति प्रमाण–पत्र की छाया प्रतियाँ संलग्न की गयी हैं। मूल प्रति संलग्न की जाय।
5. प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के आर0सी0सी0 पिलरों से सीमांकन के प्रमाण–पत्र में लागू नहीं अंकित किया गया है। सीमांकन हेतु आर0सी0सी0 पिलरों का प्राक्कलन एवं व्यय वहन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।

अतः प्रस्तावक विभाग अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर उपरोक्त प्रस्ताव की हार्ड प्रतियाँ वापस प्राप्त करने हेतु निर्देशित करते हुए अपूर्णताओं का पूर्ण निराकरण करवाकर प्रभागीय वनाधिकारी / वन संरक्षक के माध्यम से परिपूर्ण प्रस्ताव तीन प्रतियों में (मूल प्रति सहित) इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या :– 882 / FP/UK/ROAD/16702/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निमलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

O/C